04/7/24 अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस प्रकरण सुनी गई।

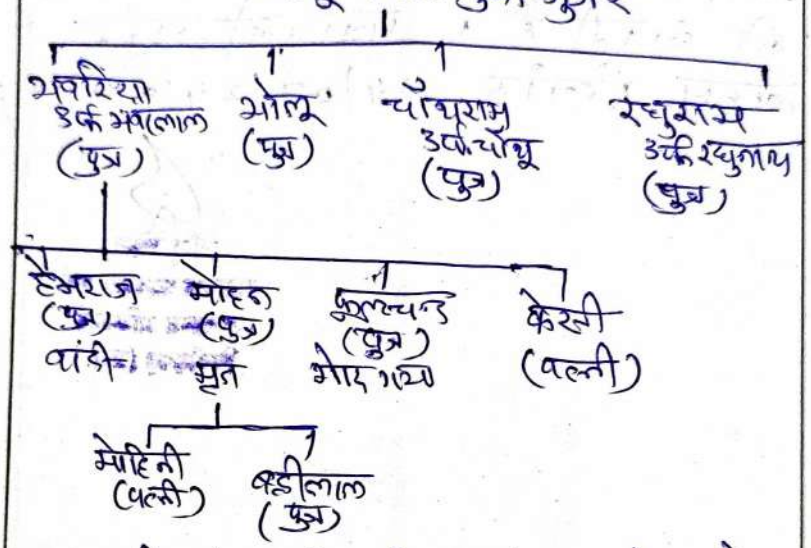

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 R.T.A. इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है -

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के उक्त पारिवारिक सजरा अनुसार हमारे पूर्वज नाथू पिता चुना गुर्जर की मृत्यु पूर्व में निर्वसीयत हो चुकी है व उनका पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 भंवरीया उर्फ भंवरलाल है व तीन अन्य पुत्र भोलू चौथुराम उर्फ चौथू व रघुराम उर्फ रघुनाथ है। प्रतिवादी संख्या 01 भवरीया का पुत्र वादी है तथा एक पुत्र फूलचन्द पूर्व में गोद चला गया व भंवरीया के एक पुत्र मोहन की मृत्यु हो चुकी है जिसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 व उसका पुत्र प्रतिवादी सं. 3 है।

......लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम देवरी प०ह० देवरी जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 मे निम्नांकित भूमि राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 भवरिया 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 मोहिनी बाई 1/2 हिस्सा दर्ज है :- खाता संख्या 106 आराजी कीता 13 कुल रकबा 1.3900 है० उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के सजरे अनुसार पूर्वज नाथू पिता चुना गुजर के नाम से सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी खाता संख्या 01 आराजी कीता 7 कुल रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी। नाथू पिता चुना की मृत्यु होने पर विरासत से उक्त भूमि का नामान्तरण उनके पुत्र चोथू-छोगू-रघुनाथ व भवरिया के नाम से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी 2031 से 34 तक दर्ज हुई। तत्पश्चात उक्त भूमि विभाजन से भवरिया पिता नाथू गुर्जर के नाम रेकार्ड हुई, इस प्रकार उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी 1, 2 की पैतृक कृषि भूमि है। ग्राम देवरी की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 168 आराजी ~~नम्बर~~ 691 मे रकबा 1.5500 है. जो पूर्वज --- लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	नाथू गुर्जर के नाम से चली आ रही थी तथा उनकी मृत्यु के बाद विरासत से उक्त भूमि उनके तीन पुत्र रघुनाथ ओंकार, भंवरिया के नाम गत आ.नं. 442/1, 443/1, 444/1 कीता 3 रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 में दर्ज हुई जिसके नतीजे उपरोक्त अंकित चालू जमाबन्दी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से उक्त आ.नं. 691 रकबा 1.44 है. दर्ज हुई, जिससे उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 की पैतृक कृषि भूमि है जो हमारे पूर्वज नाथू पिता चुन्ना गुर्जर के समय से विरासत से चली आ रही है। ग्राम पारलिया प.ह. देवरी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 109 में अंकित आराजीयात कीता कुल रकबा 2.63 है. में से हजारी पिता जगन्नाथ गुजर से उसका 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 भंवरलाल पिता नाथू गुर्जर ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त पारिवारिक आमदनी से एवं वाद पत्र की चरण संख्या 2 (अ ब) में वर्णित पैतृक कृषि भूमि से प्राप्त आय से प्रतिवादी संख्या 01 ने स्वयं के नाम उक्त भूमि खरीद कर स्वयं के नाम रेकार्ड में खातेदार के रूप में नाम दर्ज करवाया किन्तु उक्त भूमि हमारी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। वाद पत्र की चरण संख्या 2(अ) में वर्णित ग्राम देवरी की कृषि भूमि वादी .....लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी

एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें वादी का विरासत से जन्म से ही 1/3 हिस्सा निहित है, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2, 3 का संयुक्त 1/3 हिस्सा निहित है वादी अपने निहित 1/3 हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर खेती करता चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 वादी का पिता होने के कारण उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड मे पिता के नाम दर्ज होने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 01 को बहला फुसलाकर उक्त कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा एक अवैध प्रभावहीन व शून्य बक्षीसनामा दिनांक 26.6.2015 पंजीयन दिनांक 04.8.2015 स्वयं के नाम गलत ही तरीके से निष्पादित कर राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 2 के अपना नाम 1/2 गलत ही दर्ज करवा दिया है। इस कारण वादी को उक्त अपनी पैतृक कृषि भूमि मे निहित 1/3 हिस्से कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं बक्षीसनामा जो प्रतिवादी 01 द्वारा प्रतिवादी 2 के पक्ष मे निष्पादित किया को अवैध, शून्य निष्प्रभावी घोषित करवाये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत है।

वाद पत्र के चरण संख्या 2 (ब) मे वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक कृषि भूमि है जो हमारे पूर्वज नाथु के नाम से रेकार्ड मे दर्ज थी, उनकी मृत्यु के बाद विरासत से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई। उक्त कृषि भूमि मे वादी का जन्म से ही विरासत से 1/3 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 01 का

(हस्ताक्षर)

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

... लगातार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	1/3 एवं स्व. मोहन के वारिसान प्रतिवादी 2 व 3 का 1/3 हिस्सा पैतृक भूमि होने के कारण निहित है। वादी उक्त कृषि भूमि मे निहित 1/3 हिस्से पर निरन्तर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को अवैध रूप से चुपके से बख्शीसनामा दिनांक 26.6.2015 निष्पादित कर दिनांक 9.7.2015 को प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष मे पंजीकृत करा दिया, जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 2 ने अपने नाम उक्त भूमि का नामान्तरण खुलवाकर जमाबन्दी मे नाम अंकित करवा दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि होने एवं वादी का विरासत से 1/3 हिस्सा निहित होने के कारण उक्त बख्शीसनामा [illegible] को अवैध, शून्य, प्रभावहीन घोषित कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 (स) मे वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक कृषि भूमि से प्राप्त आय एवं संयुक्त परिवार की आमदनी से प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने नाम पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद की है। खरीदशुदा 1/4 हिस्से मे विधि अनुसार वादी का 1/3 हिस्सा खातेदारी का निहित होकर वादी अपने हिस्से अनुसार काबिज हो खेती करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 के नाम जो 1/4 हिस्सा खातेदारी का चला आ रहा है उसमे वादी 1/3 हिस्से का .... लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	अर्थात कुलिया कृषि भूमि का 1/12 हिस्से का खातेदार का घोषित कराने का अधिकारी होने एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के हक मे उक्त भूमि के सम्बन्ध मे वसीयतनामा दिनांक 26.6.2015 को निष्पादित कर दिनांक 9/7/2015 को पंजीकृत करवा जो अवैध एवं प्रभावहीन शून्य घोषित कराने हेतु यह दावा प्रस्तुत है।	
	प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उक्त भूमि को चुपके से अन्य व्यक्तियों को रहन, बय अन्तरित करने पर आमदा है, वादी के हक हिस्से मय उपयोग उपभोग मे भी दखलन्दाजी करना प्रारम्भ कर दिया है, इस कारण प्रतिवादीगण को [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 उक्त कृषि भूमि मे सहखातेदार होने से तथा भूमि प्रतिवादी 8 के यहां रहन होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी 9 तहसीलदार जी को वाद कृषि भूमि से सम्बन्धित होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 09 से कोई अनुतोष वाद मे नही चाहा जा रहा है।	
	......लगातार	
	(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

AnyScanner

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	वाद कारण दिनांक 20/7/2019 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 01, 02 को खाता वादी के नाम कराने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादी से झगड़ा फसाद कर भूमि अन्य व्यक्तियों को बेच देने की धमकी दी व वादी का कब्जा छीन लेने की धमकियां दी इस कारण वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अन्त मे वाद पत्र की चरण संख्या 02 (अ, ब) मे अंकित कृषि भूमि मे वादी का 1/3 हक घोषित कराने वाद पत्र की चरण संख्या 02 (स) मे अंकित कृषि भूमि मे वादी का 1/12 हिस्सा घोषित कराने, वाद पत्र की चरण संख्या 02 (अ ब स) मे वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध मे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत दान विलेख 26.6.2015 पंजीयन दिनांक 04.8.2015 एवं पंजीकृत बक्षीसनामा दिनांक 26.6.15 पंजीयन दिनांक 09.7.2015 को वादी के खातेदारी अधिकारों के मुकाबले प्रभावहीन, अवैध एवं शून्य घोषित किए जाने तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने की इस्तदुआ की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 24/8/2022 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। — लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

प्रतिवादी 7 की मृत्यु हो जाने से इनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/7 के अनुपस्थित रहने से दिनांक 11/3/2024 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। इसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 03 की मृत्यु हो जाने व इनकी वैधानिक वारिस प्रतिवादी संख्या 02 प्रकरण में पक्षकार रेकार्ड पर होने से इनका नाम प्रकरण से तर्क किए जाने के दिनांक 02/7/2024 को आदेश दिए गए।

वादी ने बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 ग्राम देवरी खाता संख्या 106 प्रदर्श 1, नामान्तरण संख्या 565 ग्राम देवरी प्रदर्श 2, बक्षीस नामा 26.6.2015 प्रदर्श 3 भू प्रबन्ध विभाग खसरा पत्रक प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 ग्राम देवरी खाता संख्या 29 प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 ग्राम देवरी खाता सं 18 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 ग्राम देवरी खाता संख्या 56 प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2023 ग्राम देवरी खाता संख्या 52 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 ग्राम देवरी खाता संख्या 168 प्रदर्श 9, नामान्तरण संख्या 560 ग्राम देवरी प्रदर्श 10, बक्षीस नामा दिनांक 26.6.2015 प्रदर्श 11, नकल जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2023 ग्राम देवरी प्रदर्श 12, नकल जमाबन्दी

.... लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म

संवत् 2021 से 2024 ग्राम देवरी खाता सं. 139 प्रदर्श 13, भू प्रबन्ध किश्त खतौनी पत्रक प्रदर्श 14, नकल जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 खाता सं. 104 ग्राम देवरी प्रदर्श 15, नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 मौजा पारलिया खाता संख्या 109 प्रदर्श 16, नामान्तरण संख्या 280 ग्राम पारलिया प्रदर्श 17, नकल जमाबन्दी 2046 से 2049 मौजा पारलिया प्रदर्श 18 के रूप मे प्रदर्शित कराए।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन मे न्याय दृष्टान्त RRT 2014(1) SC P1, DNJ 2022 (2) SC P 731, RRT 2019 (2) SC P. 1150, RRT 2016(2) SC P. 1063, RLW 2012(4) R.H.P 2932, RRT 2018(1) R.H.P 642, RRT 2018-19 (SUPP) P-278, RRT 2012(1) P46 प्रस्तुत किए।

हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर अधिवक्ता वादी की बहस पर गहनता से चिन्तन मनन किया। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना अनुपस्थित रहकर वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन प्रस्तुत नही किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-01 से प्रदर्श-18 के अवलोकन करने पर वादी द्वारा वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होना पाया जाता है। वादी दस्तावेजी सबूत प्रदर्श 1 से प्रदर्श 18 के आधार पर वाद पत्र को प्रमाणित कराने मे सफल रहा है। पैतृक कृषि भूमि मे से दान पत्र

---- लगातार

(वीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वसीयतनामा, विक्रय पत्र कोई भी व्यक्ति अपने हक हिस्से तक ही निष्पादित करा सकता है। विरासत से प्राप्त कृषि भूमि में मृतक के प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान का जन्म से हक हिस्सा निहित होता है। वादी भी वादग्रस्त आराजीयात में अपना निहित हक हिस्सा अपने नाम दर्ज कराये जाने का अधिकारी पाया जाता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष मे निष्पादित वसीयतनामा प्रदर्श 03 व प्रदर्श 11 को वादी के निहित हक हिस्से तक प्रभाव शून्य घोषित किए जाकर ग्राम देवरी तहसील चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 106 मे वर्णित आराजी संख्या 255, 257, 258 260 मी 262/902, 263, 264, 307, 309, 343, 344, 348, 357 कीता 13 कुल रकबा 1.3900 हे., ग्राम देवरी के खाता संख्या 168 आ.नं. 691 रकबा 1.4400 हे. मे वादी 1/3 हक हिस्से का तथा ग्राम पारलिया ब० ह० देवरी तहसील चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 109 मे अंकित आराजी संख्या 111, 112, 150, 151, 152 कीता 5 कुल रकबा 2.63 हे. मे वादी को 1/12 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्तानुसार वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। वादी ---- लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

AnyScanner

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	के उक्त हक हिस्से बावत प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द किया जाता है वे वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, झगड़ा फसाद नहीं करें एवं उक्त हिस्से को रहन बय अन्तरित नहीं करें। निर्णय लिखवाया जाकर बरे इजलास सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	